



2026:AHC:127141

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 19742 वर्ष 2026

ब्रज किशोर..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : आरपीएस चौहान

प्रतिपक्षी गण के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, शशि भूषण राय

न्यायालय सं - 45

माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री आर.पी.एस. चौहान, सूचनाकर्ता की ओर से पेश होने वाले अधिवक्ता श्री शशि भूषण राय और उत्तर प्रदेश राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. धारा 103(1), 3(5) बी.एन.एस., थाना ऐचोरा, जिला संभल के तहत केस अपराध संख्या-23 वर्ष 2026 में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए प्रस्तुत जमानत याचिका दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका कथित अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, घटना को किसी भी गवाह द्वारा नहीं देखा गया था और बाद में अभियोजन पक्ष द्वारा एक कहानी गढ़ी गयी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और यह कहा गया है कि घटना को चश्मदीद गवाहों, श्रीमती नीरज और श्रीमती पिंटोश ने देखा था। आवेदक को पकड़ने की भूमिका सौंपी गई है, जबकि सह-आरोपी अर्पित को मृतक को चोट पहुंचाने की भूमिका सौंपी गई है। आवेदक का मामला सह-अभियुक्त-अर्पित के मामले से अलग है। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि इसी तरह के सह-अभियुक्त, अर्थात्, सपना को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-15719 वर्ष 2026 में पारित आदेश दिनांक 15.5.2026 द्वारा जमानत दे दी गई है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 11.5.2026 से जेल में है।

4. दूसरी ओर, अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत देने के लिए प्रार्थना का विरोध किया, हालांकि, वह इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि समान रूप से स्थित सह-अभियुक्त, अर्थात् सपना को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा जमानत दी गई है।

5. मैंने पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेखों पर लाई गई सामग्री का अवलोकन किया है।

6. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान रूप से स्थित सह-अभियुक्त, अर्थात् सपना को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत दे दी गई है और उसी आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द या रोक नहीं दी गई है, और आवेदक 11.5.2026 से जेल में बंद है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूं।

7. जमानत आवेदन की अनुमति है।

8. आवेदक-ब्रज किशोर, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह न्यायालय में

उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि को कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस



शर्त की चूक के मामले में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार आदेश पारित किया जाएगा।

(ii) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। उसकी अनुपस्थिति के मामले में, पर्याप्त कारण के बिना, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क/बी.एन.एस. के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(iii) "यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अंतर्गत उद्धोषणा जारी की जा सकती है तथा यदि आवेदक ऐसी उद्धोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 174-क / भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करेगा।"

(iv) आवेदक (1) मामले को खोलने, (2) आरोप तय करने और (3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313/351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए इस तरह की चूक को जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत को रद्द करने का आधार होगा।



10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

15 जून 2026

ललित शुक्ला

Translated Version. Not for Legal Use.